(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार राज्य के उत्तरी भाग में मथुरा रिफायनरी पर आधारित मथुरा उद्योग समह की स्थापना के लिए लगातार केन्द्र सरकार से मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है और मध्य प्रदेश उसी भाग में एक उद्योग समह की स्थापना करने में केन्द्र सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मथुरा शोधनशाला के उत्पादों पर आधारित एक उर्वरक तथा पेट्रोरसायन काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ समय पूर्व लिखा है

(ख) अभी इस विषय में कोइ अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Acquisition of Land at YOL

8331. SHRI DURGA CHAND: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 500 on 22nd November, 1978 and state:

(a) the progress so far made in acquisition of 484 acres of additional land at Yol for construction of more accommodation at that place; and

(b) what are the details of the programme for construction of new accommodation at Yol, the number of Units proposed to be constructed and by when the construction work will start and be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY AND SPACE (PROF. SHER SINGH): (a) Demand for acquisition/transfer of 484 acres of additional land at Yol was placed by the Military Estates Officer on the Land Acquisition Officer, Kangra/Dharmsala on 27-10-78. The Revenue details of the land to be acquired/transferred have been collected by the Deputy Commissioner, Kangra and a draft notification to be published under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has also been prepared. The Collector has informed that some Government land in village Basoni which is included in the land to be acquired/transferred has been leased out by the State Government for religious purposes. This land will, therefore, have to be excluded from the land to be acquired/transferred. The question whether exclusion of this land will affect the utilisation of the remaining area and if so whether realignment of its boundaries will be necessary, is under active consideration of the military authorities in consultation with the civil authorities.

(b) As soon as the land is taken over, Zonal Plan/Master Plan will be prepared. Accommodation will be planned and executed in a phased manner depending on the availability of funds and units moved to the new accommodation when the project is completed.

कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को रोजगार

8332. श्री सखेन्द्रलाल सिंघा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कुछ व्यक्ति (जो कैमरामेन, एडिटर रिकार्डिस्ट जैसे कामों में विशेषज्ञ हैं) 35 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवा में आये थे; उनका पूरा ब्योरा क्या है;

(ख) क्या 35 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके बाद ऐसे जो व्यक्ति दूरदर्शन में सेवा में आये उनके मामले में पदोन्नति के मामले में प्राथमिकता और छूट देने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वाधीनता सेनानियों के बच्चे या परिवार के सदस्य भी दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, यदि हां, तो क्या पदोन्नति के मामलों में उन्हें कुछ रियायतें देने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन का विचार इन लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु नियम बनाने का है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; क्या इन व्यक्तियों को उन्हीं स्थानों पर नियुक्त किया जाता है जिनका वे विकल्प करते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दूरदर्शन प्राप्त किये गये अनुभव को कोई विशेष महत्व देता है, यदि हां, तो इस क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां, ऐसे 16 व्यक्ति हैं जिन्होंने दूरदर्शन में उस समय ज्वाइन किया जब वे 35 वर्ष से अधिक की आयु के थे।

ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	वेतनमान	35 वर्ष की आयु हो जाने के बाद दूरदर्शन में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों की संख्या
कैमरामैन ग्रेड-2	550—900 रु0	11
साउंड रिकार्डिस्ट	425—750 रु0	1
फिल्म सम्पादक	425—750 रु0	4
		16

(ख) दूरदर्शन में प्रवेश करने के लिए वर्तमान भर्ती नियमों में अधिकतम आयु का प्रावधान 40 वर्ष से कम आयु है। तथापि, यह सीमा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संचार माध्यम में पहले से काम कर रहे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। पदोन्नतियों के लिए उच्चतर आयु को वेटेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन सामान्यतया संगठन में काम करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के सदस्यों या बच्चों का रिकार्ड नहीं रखता है। पदोन्नतियां व भर्ती नियमों के आधार पर की जाती हैं। दूरदर्शन में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों तथा बच्चों को पदोन्नतियों और तैनातियों के मामलों में रियायतें देने का न कोई प्रावधान है और न ही कोई प्रस्ताव है।

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति के मामले में भर्ती नियमों में न्यूनतम अनुभव का प्रावधान है जिसका है स्टाफ आर्टिस्ट के लिए पदोन्नति के लिए पात्र होने से पहले होना आवश्यक है। यह सरकारी विभाग में पदोन्नति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है।

T.V. coverage of States Ministers' visits to Metropolitan Cities

8333. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the States Chief Ministers and other Ministers visits to Metropolitan cities, including Delhi are not regularly covered by Doordarshan;

(b) if not, the details of the visits of the State Ministers and the other Ministers covered by Delhi, Calcutta, Bombay and Madras Television during the last two years, date-wise; and

(c) the details of the action taken up-to-date to highlight the States problem in the Television in these Metropolitan Cities?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Whenever Chief Ministers and other Ministers from a State visit any metropolitan city where a Doordarshan Kendra is situated, their visits and the statements they make during their visits are reported in the news bulletins of that Doordarshan Kendra according to their news value.

(b) and (c). The collection of this information involves obtaining details of the visits of the State Ministers from the respective State Governments and scrutiny of all the news bulletins and programme log books for the last two years at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras Doordarshan Kendras. The time and effort spent on this task will not be commensurate with the results obtained.

Staff in P.I.B. Office at Calcutta

8334. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Calcutta P.I.B. is working with the insufficient staff;

(b) if so, the details of the staff position of Calcutta P.I.B. at this moment and the details of the requirements of staff;

(c) the details of the amenities given to Calcutta P.I.B. staff in comparison to P.I.B. staff in New Delhi; and